भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/31/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

मामला संख्याः - एडी(ओआई)-28/2025

दिनांक: 30 सितंबर, 2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की शुरुआत।

फा. सं. 6/31/2025-डीजीटीआर - बोरोसिल लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' कहा गया है) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटनरोधी वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है) के अनुसार, चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर (जिसे आगे 'संबद्ध सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक रूप से मंदी हुई है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

1. विचाराधीन उत्पाद 'बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर' या बोरोसिलिकेट टेबलवेयर और किचनवेयर है। विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम-उपयोग वाला उत्पाद है जिसका उपयोग खाना पकाने, बेकिंग, परोसने और भंडारण के लिए विभिन्न रूपों में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिक्सिंग बाउल, सर्विंग बाउल, बेकिंग डिश, ओवल डिश, केक डिश, सूफले डिश, रोस्टर डिश, ढक्कन और/या हैंडल वाला कैसरोल, ओवन बाउल, स्टोरेज कंटेनर, टी कप/मग, प्लेट, यूनो कप, कटोरी और ड्रिंकिंग ग्लास के रूप में बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर शामिल हैं।तथापि, निम्नलिखित उत्पाद प्रकारों को उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है -

   क. जार
   ख. कैराफ़े
   ग. चाय/कॉफ़ी की केतली
   घ. पानी/जूस का जग
   ङ. पानी की बोतल
   च. राउंड स्टोरेज जार
   छ. स्केयर स्टोरेज जार
   ज. ऑयल डिस्पेंसर

2. विचाराधीन उत्पाद बोरोसिलिकेट ग्लास से बना है, जिसका उत्पादन बोरिक ऑक्साइड या बोरेक्स, सिलिका सैंड, सोडा ऐश और एल्यूमिना का उपयोग करके किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद तापरोधी और रासायनिक रोधी है। यह तापीय आघात से मुक्त है, जिससे यह अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है और रासायनिक अवक्षेपण से रहित होकर खाना पकाने के लिए सुरक्षित है।

3. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची- । के अध्याय 70 के अंतर्गत वर्गीकृत है और प्रशुल्क मद 7013 2800, 7013 3700, 7013 4200, 7013 4900 और 7013 9900 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

4. आवेदक ने लागत और कीमत के संदर्भ में अंतर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएँ (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं।

क. बिना पैकिंग के बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन

ख. बिना ढक्कन और सहायक उपकरणों के पैकिंग के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन

ग. बिना ढक्कन और सहायक उपकरणों के पैकिंग और ढक्कन के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन

घ. बिना पैकिंग, ढक्कन और सहायक उपकरणों के साथ बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन

5. तथापि, यह उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित पीसीएन (PCNs) प्राधिकरण के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों में प्रत्यक्ष रूप से पहचान योग्य नहीं हैं । अतः, आयात आंकड़ों में उपलब्ध उत्पाद के विवरण और आवेदक के प्रस्ताव के आधार पर, प्राधिकरण ने वर्तमान प्रारंभिक कार्यवाही के उद्देश्य से निम्नलिखित पीसीएन अपनाए हैं –

क. बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन, पैकिंग सहित, लेकिन ढक्कन और सहायक उपकरणों के बिना

ख. बोरोसिलिकेट टेबल और किचन ग्लासवेयर का उत्पादन, पैकिंग, ढक्कन और सहायक उपकरणों सहित।

6. वर्तमान जाँच में हितबद्ध पक्षकार, इस जाँच की शुरुआत के तीस (30) दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन (यदि कोई हो) पर साक्ष्य सहित अपने अनुरोध दायर कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आयातित उत्पाद और आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा

किया है कि संबद्ध सामानों के उपभोक्ता आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

8. यह आवेदन बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु पहला संयंत्र स्थापित किया और 28 मार्च 2024 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया। आवेदक ने दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और वह देश में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।

9. आवेदक ने उल्लेख किया है कि वह संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि जाँच की अवधि के दौरान, उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया। यह नोट किया जाता है कि आवेदक एक नया उत्पादक है और उसने जाँच की अवधि के दौरान ही उत्पादन शुरु किया है। चूँकि विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जहाँ प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग साँचे की आवश्यकता होती है, इसलिए आवेदक ने शुरु में उच्च माँग वाले उत्पादों का उत्पादन किया। इस प्रकार, एक पूर्ण उत्पाद श्रृंखला की आपूर्ति करने और अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए, आवेदक को संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने देश में संबद्ध सामानों के उत्पादन हेतु पहला संयंत्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण निवेश किया है। आवेदक का प्राथमिक ध्यान भारत में विनिर्माण पर है, न कि संबद्ध सामानों के व्यापार पर। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% उत्पादन करता है। इसे ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. **संबद्ध देश**

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ड. **जांच की अवधि**

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है। तदनुसार, क्षति जाँच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तक की अवधि और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. **कथित पाटन का आधार**

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और जब तक चीनी उत्पादक यह दर्शा नहीं देते कि उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने दावा किया है कि किसी उपयुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आँकड़े या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, आवेदक ने भारत में देय कीमत, उसकी उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर, के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य जाँच के प्रयोजन के लिए उपयुक्त माना गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार, प्रत्येक संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय मालभाड़ा और कमीशन के निमित्त कीमत समायोजन किए गए हैं। आवेदकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत पर, जांच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

पाटन मार्जिन

17. संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामानों को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध आयातों के पाटन ने देश में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद कर दिया है। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में काफी कम कीमतों पर प्रवेश कर गए हैं और ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और उचित बिक्री कीमत से कम हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि यह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहा और उत्पादन के प्रत्येक चरण में इसकी उत्पादन मात्रा में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ी। घरेलू उद्योग को अत्यधिक हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई। यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण में उसके अनुमानित निष्पादन से कम था।

19. इसलिए, यह प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है कि पाटित आयातों से देश में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन, वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को प्रमाणित करता है, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के

संबंध में पाटन मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी रोकने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. सभी पत्र प्राधिकारी को dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-ऐक्सल फार्मेट में हैं।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादतकों/निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर किए जाने चाहिएं।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच की शुरुआत द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है।

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (**https://www.dgtr.gov.in/**) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना/अनुरोध प्राधिकारी को ईमेल पतों dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने की सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी, जिस तारीख को वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी या संबद्ध देश उपयुक्त राजयनिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. जहां कोई पक्षकार कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन न किए जाने पर उत्तर/अनुरोध रद्द किए जा सकते हैं।

30. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिन्हित होने चाहिएं। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध "अगोपनीय" सूचना

माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और नियमों के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।

34. अन्य हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोध में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ -

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी